2009:CGHC:9831

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ) माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1081/2007

अपीलार्थी (जेल में) सिद्धार्थ गौतम, पुत्र गोविंद गौतम, आयु लगभग 28 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी दुबाहा, जिला एवं थाना शहडोल (मध्य प्रदेश)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग) ।

दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत।

उपस्थित:

- अपीलकर्ता के लिए: अरूण कोचर , अधिवक्ता
- प्रतिवादी (राज्य) के लिए: श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता, श्री समीर बेहर, पैनल अधिवक्ता के संहित

2009:CGHC:9831

दांडिक अपील क्रमांक 8 सन् 2008

अपीलकर्ता विनय कुमार, पुत्र राम प्रसाद गुप्ता, उम्र 37 वर्ष, दुकानदार, निवासी जयसिंह नगर, पुलिस थाना जयसिंह नगर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश (म. प्र.)।

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग) के माध्यम से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

उपस्थित:

- अपीलकर्ता के लिए: श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, के संहित श्री नीरज मेहता
  - प्रतिवादी (राज्य) के लिए: श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता, श्री समीर बेहर, पैनल अधिवक्ता के संहित

दांडिक अपील क्रमांक 342 2008

अपीलकर्ता अनिल गुप्ता, पुत्र प्रेमचंद गुप्ता, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जयसिंह नगर, पुलिस थाना जयसिंह नगर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश (म.प्र)।

2009:CGHC:9831

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 454 के तहत दांडिक अपील

उपस्थित:

- अपीलकर्ता के लिए: श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज मेहता के साथ।
- प्रतिवादी (राज्य) के लिए: श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता, श्री समीर बेहार, पैनल अधिवक्ता के साथ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(30.03.2009 को प्रदत्त)

यह निर्णय दांडिक अपील क्रमांक 1081/2007, जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा प्रस्तुत की गई, दांडिक अपील क्रमांक 8/2008, जो विनय कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई, और दांडिक अपील क्रमांक 342/2008, जो अनिल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई, पर लागू होगा।

2. अपीलकर्ता सिद्धार्थ और विनय को **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,** , 1985 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अंतर्गत 3 नवंबर 2007 के निर्णय द्वारा विशेष न्यायाधीश (अधिनियम के तहत), बस्तर, स्थान जगदलपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/2007 में दोषी ठहराया गया और उन्हें प्रत्येक को

2009:CGHC:9831

10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही जुर्माना न चुकाने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया, क्योंकि उन्होंने 25 नवंबर 2006 को गडसिल भाटा नाला के पास संट्रो कार क्रमांक एमपी 18सी 1226 (जिसे आगे 'संट्रो कार' कहा जाएगा) में 183 किलोग्राम अवैध गांजा परिवहन किया था। अनिल गुप्ता, जो संट्रो कार के मालिक हैं, द्वारा प्रस्तुत अपील आपेक्षित निर्णय द्वारा संट्रो कार के अधिहरण के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला निम्नलिखित है: 25 नवंबर 2006 को सुबह 8:50 बजे, श्री बी.एस. निषाद, अभि ०सा०-4, केशकाल थाने के थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना प्राप्त की कि अवैध गांजा जगदलपुर से संट्रो कार में लाया जा रहा है। उक्त सूचना को रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 945, प्रदर्श पी-22 में दर्ज करने के बाद और अपने निकटम वरिष्ठ अधिकारी को प्रदर्श पी-1 के माध्यम से सूचना भेजने के पश्चात, उन्होंने गवाह सम्पतराम अभि ०सा०-1 और सादन अभि ०सा०-2 तथा स्टाफ के साथ संट्रो कार को रोकने के लिए प्रस्थान किया। पुलिस दल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति संभाली और जगदलपुर से आने वाली संट्रो कार को देखा। रोकने का संकेत देने पर संट्रो कार जंगल की सड़क तरफ से चली गई, जिसका पीछा किया गया और अंततः गडसिल भाटा नाला पर उसे रोक लिया गया। अपीलार्थी सिद्धार्थ संट्रो कार चला रहा था, जबकि अपीलार्थी विनय उसमें बैठा था। पाया गया कि संट्रो कार में गांजा जैसे पदार्थ से भरे बोरे लोड थे। संट्रो कार के अंदर 11 बोरे में गांजा जैसे पदार्थ पाए गए। पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया। प्रत्येक बोरे से 50-50 ग्राम के 2 नमूने लिए गए और 11 नमूना पैकेट्स पर पहचान चिह्न ए-1 से के-1 लगाए गए। जिसका तौल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:9831

फरसुराम अभि ०सा०-3 द्वारा किया गया । 50-50 ग्राम के 20 नमूना पैकेट्स और 11 बोरे में गांजा का वजन 183 किलोग्राम था। 11 बोरे और 22 नमूना पैकेट्स को श्री बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 ने केशकाल थाने की मुहर से सील बंद किया। मुहर का नमूना पंचनामा प्रदर्श पी-13 और प्रदर्श पी-14 पर लगाया गया। अपीलार्थी विनय से एक मोबाइल सेल फोन और 200 रुपये नकद प्रदर्श पी-15 के माध्यम से, और अपीलार्थी सिद्धार्थ से संट्रो कार, नोकिया मोबाइल, 11 सील बंद बोरे और 22 नमूना पैकेट्स प्रदर्श पी-16 के माध्यम से जब्त किए गए। मुहर का नमूना प्रदर्श पी-16 पर भी लगाया गया। अपीलार्थी विनय और सिद्धार्थ को 25 नवंबर 2006 को शाम 3 बजे गिरफ्तार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. 11 सील बंद बोरे और 22 नमूना पैकेट्स को 25 नवंबर 2006 को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए केशकाल थाने के मालखाना मुहर्रिर प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5 को सौंपा गया और इसे मालखाना में प्रदर्श पी-35 के माध्यम से रखा गया।

5. 27 नवंबर 2006 को, पहचान चिह्न ए-1 से के-1 वाले 11 नमूना पैकेट्स को रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रदर्श पी-31 के माध्यम से भारसाधक क्रमांक 156 अजय टेकाम के जरिए विधि विज्ञानं प्रयोगशाला भेजा गया, जिन्होंने 28 नवंबर 2006 को विधि विज्ञानं प्रयोगशाला में नमूना पैकेट्स ए-1 से के-1 सौंपे और पावती प्रदर्श पी-32 प्राप्त की। विधि विज्ञानं प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-33, दिनांक 6 जनवरी 2007 के अनुसार, सभी नमूना पैकेट्स ए-1 से के-1 में गांजा पाया गया। जांच पूरी

2009:CGHC:9831

होने के बाद, 19 जनवरी 2007 को अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय के खिलाफ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अभियोजन दर्ज किया गया। मुद्देमाल, अर्थात् 11 सील बंद बोरे और शेष 11 नमूना पैकेट्स, को विशेष न्यायाधीश के समक्ष चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किये गए ।

6. अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय ने अपराध से इनकार किया, अपने को निर्दोष होने का अभिवाक और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने 5 साक्षियों का परीक्षण कराया । सम्पतराम अभि ०सा०-1, सदन अभि ०सा०-2 और फरसुराम अभि ०सा०-3 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। निरीक्षक बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 ने अपराध की विवेचना के संबंध में विस्तार से गवाही दी। मालखाना मुहर्रिर प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5 का भी परीक्षण कराया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विशेष न्यायाधीश ने निरीक्षक बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4, प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5 की गवाही और विधि विज्ञानं प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-33 पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपीलकर्ता सिद्धार्थ और विनय को दोषी पाया, उन्हें दोषसिद्ध किया और उपरोक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अनुसार दंड दिया, साथ ही संट्रो कार के अधिहरण का आदेश पारित किया।

8. श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो दांडिक अपील क्रमांक 8/2008 में अपीलार्थी विनय कुमार और दांडिक अपील क्रमांक 342/2008 में अपीलार्थी अनिल गुप्ता के लिए उपस्थित हुए, और श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता, जो दांडिक अपील क्रमांक

2009:CGHC:9831

1081/2007 में अपीलार्थी सिद्धार्थ के लिए उपस्थित हुए, तथा श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता, के साथ श्री समीर बेहार, पैनल अधिवक्ता, जो तीनों दांडिक अपीलों में राज्य/प्रतिवादी के लिए उपस्थित हुए, का विस्तार से सुना गया । अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. स्वतंत्र साक्षी सम्पतराम अभि ०सा०-1 और सदन अभि ०सा०-2 ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया और दस्तावेजों प्रदर्श पी-1 से पी-19 पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए। फरसुराम अभि ०सा०-3 ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने गांजा की तौल नहीं किया |उन्होंने कहा कि वे अशिक्षित हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी अंगुली के निशान तौल पंचनामा पर क्यों लिए गए। भारसाधक क्रमांक 156 अजय टेकाम, जो 27 नवंबर 2006 को रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 1082 के तहत पहचान चिह्न ए-1 से के-1 वाले 11 नमूना पैकेट्स को विधि विज्ञानं प्रयोगशाला में देने का कर्तव्य सौंपा गया था, उनकी भी जांच नहीं कराया गया । इस प्रकार अभियोजन के पास केवल बी.एस. निषाद, केशकाल थाने के थाना प्रभारी. अभि ०सा०-4 और प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5, जो मालखाना मुहर्रिर थे, की गवाही शेष रह गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह सुस्थापित विधि है कि यह अभियोजन पर भारी जिम्मेदारी है कि वह यह सिद्ध करे कि जब्ती के बाद तैयार किए गए और सील बंद किए गए नमूनों की शुद्धता, नमूनों के तैयार होने से लेकर विधि विज्ञानं प्रयोगशाला तक पहुँचने तक, बनी रही। प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5, जो केशकाल थाने के मालखाना मुहर्रिर थे, ने

2009:CGHC:9831

गवाही नहीं दी कि 25 नवंबर 2006 को 11 बोरे और 50-50 ग्राम वजन वाले 22 नमूना पैकेट्स में मौजूद गांजा उन्हें मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सील बंद अवस्था में प्राप्त हुआ। उन्होंने पैराग्राफ 2 में यह भी गवाही नहीं दी कि 11 नमूना पैकेट्स को भारसाधक क्रमांक 156 अजय टेकाम के माध्यम से विधि विज्ञानं प्रयोगशाला में ठीक से सील बंद करके भेजा गया। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मालखाना में उल्लिखित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षा में प्राप्त होने का अभिलेख रोज़नामचा सान्हा में दर्ज नहीं किया गया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-35 के परिशीलन से पता चलता है कि 25 नवंबर 2006 को प्रविष्टि क्रमांक 117 में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि 11 बोरे और 22 नमूना पैकेट्स को मालखाना में सील बंद अवस्था में रखा गया था। मालखाना रजिस्टर की अंतिम पृष्ठ पर निम्नलिखित समर्थन पाया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्येक बोरी से 2 2 पैकेट सील बंद तैयार किया गया कुल 22 सील बंद तैयार किया गया जिसमे 11 पैकेट परीक्षण हेतु एफ एस एल् रायपुर भेजा गया|

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि मालखाना में 11 बिना सील बंद बोरी और 22 नमूना पैकेट्स जमा करने के बाद किसी समय बिंदु पर प्रत्येक बोरी से 2 नमूने लिए गए, उन्हें सील बंद किया गया और इसके बाद 11 पैकेट्स को विधि विज्ञानं प्रयोगशाला भेजा गया।

11. बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 की वह गवाही अविश्वसनीय हो जाती है कि उन्होंने 11 नमूना पैकेट्स पर पहचान चिह्न ए-1 से के-1 लगाए थे, क्योंकि मालखाना रजिस्टर

2009:CGHC:9831

प्रदर्श पी-35 में प्रविष्टि यह नहीं दर्शाती कि मालखाना में जमा करने के समय किसी नमूना पैकेट पर ऐसा कोई पहचान चिह्न था। मालखाना रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित अंश भी यह नहीं दर्शाता कि विधि विज्ञानं प्रयोगशाला को भेजने से पहले नमूना पैकेट्स पर पहचान चिह्न ए-1 से के-1 लगाए गए थे। बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 के अनुसार, 11 बोरी से उन्होंने प्रत्येक 50 ग्राम के 22 नमूना पैकेट्स लिए थे। यह कैसे संभव है कि पहचान चिह्न ए-1 से के-1 केवल 11 नमूना पैकेट्स पर लगाए गए और शेष 11 नमूना पैकेट्स पर नहीं। बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 ने पैराग्राफ 20 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने प्रत्येक बोरी से लिए गए 2 नमूना पैकेट्स पर एक ही पहचान चिह्न नहीं लगाए। इस प्रकार यह अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है कि नमूने अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय की उपस्थिति में लिए गए थे और मालखाना में सील बंद अवस्था में रखे गए थे। नमूनों की शुद्धता के विधि विज्ञानं प्रयोगशाला तक पहुँचने से पहले भंग होने की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इससे निरीक्षक बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 की वह गवाही संदिग्ध हो जाती है कि उन्होंने अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय की उपस्थिति में 11 बोरी और 22 नमूना पैकेट्स को सील बंद किया था, इससे पहले कि उन वस्तुओं को मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रधान भारसाधक रमेश साहू अभि ०सा०-5 को सौंपा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. 19 जनवरी 2007 की तारीख की आदेश-पुस्तिका, जो चालान दायर करने की तारीख को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, यह दिखाती है कि 11 सील बंद बोरी और शेष 11 सील बंद नमूना पैकेट्स को अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश, जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, विद्वान विशेष न्यायाधीश के पास यह जांचने का

2009:CGHC:9831

अवसर नहीं था कि 11 बोरी और 11 नमूना पैकेट्स सील बंद किए गए थे और कि सील बंद का नमूना बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 द्वारा प्रदर्श पी-13 और पी-14 के माध्यम से तैयार किए गए नमूना छाप से मेल खाता था। मुद्देमाल को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने की बात ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाती है और यह गंभीर संदेह पैदा करती है कि नमूनों की शुद्धता विधि विज्ञानं प्रयोगशाला तक पहुँचने तक बनी रही या नहीं।

13. बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 ने स्वीकार किया कि संट्रो कार में कोई बूट नहीं है। इसलिए, उनकी पैराग्राफ 6 में दी गई गवाही कि 11 बोरी संट्रो कार के बूट और पिछले सीट पर रखी गई थीं, संदिग्ध हो जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि जब्ती मेमो प्रदर्श पी-16 में दिखाया गया है कि 11 बोरी और 22 नमूना पैकेट्स संट्रो कार के साथ जब्त किए गए, फिर भी पंचनामा प्रदर्श पी-10 में यह दर्शाया गया है कि संट्रो कार में 13 बोरी में भरा गांजा पाया गया और अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय से जब्त किया गया। बी.एस. निषाद अभि ०सा०-4 द्वारा इस असमानता के लिए दी गई व्याख्या पूरी तरह असंतोषजनक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित बिंदु उभरकर सामने आते हैं:

क. स्वतंत्र साक्षी सम्पतराम अभि ०सा०-1, सादन अभि ०सा०-2 और फरसुराम अभि ०सा०-3 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

ख. भारसाधक क्रमांक 156 अजय टेकाम, जिन्हें नमूना पैकेट्स को विधि विज्ञानं प्रयोगशाला में देने के लिए सौंपा गया था, का परीक्षण नहीं कराया गया ।

2009:CGHC:9831

ग. मालखाना रजिस्टर में यह उल्लेख नहीं है कि 11 बोरी और 22 नमूना पैकेट्स में मौजूद विनिर्दिश गांजा मालखाना में सील बंद अवस्था में रखा गया था।

घ. मालखाना रजिस्टर में यह समर्थन होने के कारण कि नमूने 28 नवंबर 2006 को भारसाधक क्रमांक 156 अजय टेकाम को सौंपने से पहले तैयार किए गए थे, नमूनों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें मालखाना में सील बंद करने की संभावना, जिसके बाद उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए विधि विज्ञानं प्रयोगशाला भेजा गया, को नकारा नहीं जा सकता।

ङ. 11 बोरी और शेष 11 नमूना पैकेट्स को सील बंद अवस्था में परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और, इसलिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश यह जांच नहीं कर सके कि 11 बोरी और 11 नमूना पैकेट्स सील बंद किए गए थे और सील बंद का नमूना प्रदर्श पी-13 और पी-14 में दिए गए नमूना छाप से मेल खाता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त निष्कर्षों का संचयी प्रभाव यह है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि सील बंद किए गए नमूनों की शुद्धता विधि विज्ञानं प्रयोगशाला तक पहुँचने तक बनी रही। इसलिए, विधि विज्ञानं प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-33 अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय को दोषसिद्ध करने का आधार नहीं बन सकती, जो उचित संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय की दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया दंड को, इसलिए, अपास्त किये जाने योग्य है और इस दृष्टिकोण के आधार पर संट्रो कार के अधिहरण का आदेश भी अपास्त किये जाने योग्य है।

2009:CGHC:9831

16. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्रमांक 1081/2007, दांडिक अपील क्रमांक 8/2008 और दांडिक अपील क्रमांक 342/2008 स्वीकार की जाती हैं। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय की दोषसिद्धि और उसके तहत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी सिद्धार्थ और विनय को युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें उक्त आरोप से बरी किया जाता है, साथ ही यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा संट्रो कार के अधिहरण का आदेश भी अपास्त किया जाता है। संट्रो कार को उसके पंजीकृत मालिक, अर्थात् अपीलार्थी अनिल गुप्ता को वापस किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

श्री दिलीप राव साहेब

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी